भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 952
दिनांक 24.07.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

गुणवत्तापूर्ण रसायनों का आयात

952. श्री राजा राम सिंह:
श्री श्रीभरत मतुकुमिल्ली:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार मूल्य और मात्रा के आधार पर सर्वाधिक आयातित रसायनों और पेट्रोरसायनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं कि आयातित रसायन और पेट्रोरसायन भारतीय और वैश्विक स्वास्थ्य तथा पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप हों;

(ग) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि आयातित चीनी पीवीसी रेजिन में अवशिष्ट विनाइल क्लोराइड मोनोमर (वीसीएम) की मात्रा दस पीपीएम तक होती है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन, अमरीका और यूरोपीय संघ की सीमाओं से कहीं अधिक है और जिससे कैंसर का खतरा पैदा होता है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या जनस्वास्थ्य पर इसके संभावित प्रभाव के संबंध में कोई अध्ययन किया गया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या हैं;

(ङ) क्या सरकार ने फरवरी, 2024 में पीवीसी रेजिन पर एक गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी किया था और बाद में नवंबर, 2025 में इसके कार्यान्वयन से पहले इसे निरस्त कर दिया था, यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त निर्णय लेते समय किन कारकों पर विचार किया गया था; और

(च) आयातित पीवीसी रेजिन पर निर्भरता कम करने तथा पेयजल आपूर्ति और जनस्वास्थ्य में उपयोग किए जाने वाले पीवीसी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क: सर्वाधिक आयात होने वाले शीर्ष दस रसायन और पेट्रोरसायन उत्पादों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	**एचएस कोड**	**वस्तु**	**वित्तीय वर्ष 2023-24**	**वित्तीय वर्ष 2024-25**	**वित्तीय वर्ष 2025-26**	**वित्तीय वर्ष 2023-24**	**वित्तीय वर्ष 2024-25**	**वित्तीय वर्ष 2025-26**
			आयात मूल्य (करोड़ रुपये में)			**किलो टन (केटी) में आयात मात्रा**		
1	28092010	फॉस्फोरिक एसिड	18132.33	17,899.82	23,666.45	2263.26	2116.24	2155.96
2	39041020	सस्पेंशन ग्रेड पीवीसी रेज़िन	15616.55	17,951.40	14,399.05	2262.48	2670.17	2380.69
3	29173600	टेरेफ्थैलिक एसिड और इसके लवण	10944.77	13,501.00	12,985.41	1623.24	2093.44	2211.71
4	39021000	पॉलीप्रोपिलीन	10586.43	9,738.52	12,098.11	1245.47	1075.73	1421.08
5	29025000	स्टाइरीन	9315.86	11,104.63	9,990.17	1064.75	1136.77	1208.84
6	29051100	सैच्युरेटेड मेथनॉल	7425.41	7,754.38	9,586.09	3066.22	2995.89	3577.74
7	28141000	एनहाइड्रस अमोनिया	7620.26	8,754.00	9,564.03	2175.80	2535.80	2504.91
8	39012000	पॉलीइथिलीन (विशिष्ट गुरुत्व 0.94 /अधिक)	16379.72	9,711.88	8,277.47	1871.85	1145.73	1001.88
9	29339990	केवल नाइट्रोजन हेटरो एटम वाले अन्य हेटरोसाइक्लिक कम्पाउंड	22603.97	6,910.63	6,876.11	24.38	24.60	27.84
10	29024300	पी जाइलीन	7624.54	7,965.41	6,375.66	844.94	964.81	821.31

(स्रोत: वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय)

(ख) और (च):

सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई नियम और विनियम अधिसूचित किए हैं कि आयातित रसायन एवं पेट्रोरसायन निर्धारित मानकों को पूरा करें, अर्थात्:

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रशासित खतरनाक रसायनों के निर्माण, भंडारण और आयात संबंधी नियम, 1979;
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रशासित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन विनियम और इसके विभिन्न संशोधन;
- भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा प्रशासित खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग) विनियम, 2018
- गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जिसके तहत अधिसूचित रसायनों और पेट्रोरसायनों को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित लागू मानकों का अनुपालन करना अनिवार्य है।

विभाग ने रसायन एवं पेट्रोरसायन उद्योग में घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की हैं:

(i) पेट्रोलियम, रसायन एवं पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र (पीसीपीआईआर): भारत सरकार ने पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोरसायन क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजित करने के उद्देश्य से पीसीपीआईआर नीति अधिसूचित की है। पीसीपीआईआर इन क्षेत्रों को एकीकृत और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से बड़े पैमाने पर बढ़ावा देते हैं। इनकी परिकल्पना सामान्य अवसंरचना एवं सहयोग सेवाओं के साथ क्लस्टर-आधारित दृष्टिकोण पर की गई है, ताकि व्यावसायिक विकास के लिए अनुकूल प्रतिस्पर्धी वातावरण बनाया जा सके। वर्तमान में, इन क्षेत्रों में निवेश और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए आंध्र प्रदेश (विशाखापत्तनम), गुजरात (दाहेज) और ओडिशा (पारादीप) में पीसीपीआईआर अधिसूचित किए गए हैं।

(ii) कौशल विकास – केंद्रीय पेट्रोरसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सिपेट): सिपेट नियमित रूप से दीर्घकालिक डिप्लोमा और डिग्री कार्यक्रम आयोजित करता है, जिसमें प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में व्यावहारिक प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया जाता है, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र के लिए कुशल कार्यबल विकसित करना है।

(iii) उत्कृष्टता केंद्र (सीओई): रसायन एवं पेट्रोरसायन क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए एक योजना कार्यान्वित कर रहा है।

इस योजना के अंतर्गत, चयनित अनुसंधान संस्थानों को मौजूदा प्रौद्योगिकियों में सुधार लाने और नए अनुप्रयोगों के विकास हेतु अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य विनिर्माण प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण एवं उन्नयन करना और उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करना है।

(ग):

विभाग को हाल ही में एक सूचना प्राप्त हुई है जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि आयातित चीनी पीवीसी रेज़िन में अवशिष्ट विनाइल क्लोराइड मोनोमर (वीसीएम) की मात्रा 10 पीपीएम तक है; तथापि, पीवीसी पाइपों में आरवीसीएम के स्तर के निर्धारित सीमा से अधिक होने का कोई सत्यापन योग्य प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया गया है। मामले की जांच चल रही है।

(घ):

विभाग ने आयातित पीवीसी में अवशिष्ट विनाइल क्लोराइड मोनोमर (वीसीएम) की मात्रा और जनस्वास्थ्य पर इसके प्रभाव के संबंध में कोई अध्ययन नहीं कराया है।

(ङ):

पीवीसी होमोपॉलिमर गुणवत्ता नियंत्रण आदेश को भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों का अनुपालन अनिवार्य बनाने के लिए भावी (स्थगित) कार्यान्वयन तिथि के साथ अधिसूचित किया गया था; तथापि, इसके कार्यान्वयन से पहले, डाउनस्ट्रीम उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए नीति आयोग की उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर इसे नवंबर 2025 में निरस्त कर दिया गया था।
